

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 94/2015 (उदयपुर डिक्री)

भंवरलाल पिता श्री दोलतराम गुर्जर (मृतक) के बजाय :-

- 1/1. नारायणलाल पिता श्री भंवरलाल गुर्जर, निवासी देवाली, गोवर्धन विलास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
- 1/2. पन्नलाल पिता श्री भंवरलाल गुर्जर, निवासी देवाली, गोवर्धन विलास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
- 1/3. रतनलाल पिता श्री भंवरलाल गुर्जर, निवासी देवाली, गोवर्धन विलास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
- 1/4. बाबूलाल पिता श्री भंवरलाल गुर्जर, निवासी देवाली, गोवर्धन विलास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
- 1/5. उदयलाल पिता श्री भंवरलाल गुर्जर, निवासी देवाली, गोवर्धन विलास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
- 1/6. श्रीमती भंवरी पत्नी श्री धर्मनारायण गुर्जर, निवासी देवाली, गोवर्धन विलास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
- 1/7. कनक कुमार पिता श्री धर्मनारायण गुर्जर, निवासी देवाली, गोवर्धन विलास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
- 1/8. लाभचन्द पिता श्री धर्मनारायण गुर्जर, निवासी देवाली, गोवर्धन विलास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
 काश्त0 अधि0-1955 विरुद्ध निर्णय
 एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
 दिनांक 14.09.2015 प्र.सं. 166/13

----/----

- उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री पन्नलाल मारु अभिभाषक अपीलान्तगण
 2. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
 3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि. रेस्पो. सं. 2

-----::-----

निर्णय

दिनांक 26-02-2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्त द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त की कृषि भूमियां ग्राम सवीना में स्थित हैं, जिसके साबिक आराजी नंबर 531, 545, 546, 547, 585 रकबा 37 बीघा होकर जमाबन्दी संवत् 2023 प्रस्तुत है। उक्त भूमियों के हाल आराजी नंबर 1238 रकबा 0.4800 हैक्टर, 995 रकबा 0.2000 हैक्टर, 996 रकबा 1.6400 हैक्टर, 1005 रकबा 2.8700 हैक्टर, 1237 रकबा 3.8400 हैक्टर एवं 1239 रकबा 1.0900 हैक्टर कुल किता 6 रकबा 10.1200 हैक्टर बने हैं, जिसकी जमाबन्दी संवत् 2047 से 2048 प्रस्तुत है। वादी को यह भूमि संवत् 2000 श्रावण विद 3 को तत्कालीन पूर्व जागीरदार ठिकाना सवीना सिध श्री शिवपुरी गोस्वामी जी महाराज श्री सवाई महाराज गिर जी द्वारा जरिये पट्टे दी गयी, तब से वादी उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है तथा चारों ओर पत्थर की कोट बना रखी है एवं काफी मेहनत मजदूरी का भूमि को आबाद किया है। पट्टे की फोटो प्रति संलग्न है। राजस्व कर्मचारियों की भूल से उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं की गयी तथा रेकार्ड में भूमि उसके रिहायशी आबादी के अलावा बिलानाम दर्ज कर दी गयी, जो राजस्व कर्मचारियों की भारी भूल थी। वादी के विरुद्ध एडिशनल तहसीलदार गिर्वा द्वारा सन् 1969 में पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नाजायज कब्जे की कार्यवाही प्रारम्भ कर मिसल संख्या 3603/1969 से की जाकर दिनांक 13-05-69 को वादी का कब्जा मानते हुए उक्त जमीन वादी के नाम नियमन हेतु नियमन कमेटी के सामने नियमन हेतु आदेश इस राय के साथ प्रदान किये कि इनसे रकम पेनाल्टी नहीं वसूल की जावे न भूमि से बेदखल ही किया जावे पटवारी इन्सपेक्टर को सूचित किया जावे कि यह भूमि नियमन की जा सकती है। एडिशनल तहसीलदार ने उक्त निर्णय में वादी का कब्जा सन् 1958 से निरन्तर माना है तथा भूमि का 50 बीघे का

पट्टा होना भी दर्ज किया है। संवत् 2023 से वादी का राजस्व अभिलेखों में निरन्तर कब्जा दर्ज है, जिसकी फोटो काफी एवं जिन्सवारी प्रस्तुत है, जिसमें वादी की फसल भी अंकित है। उक्त भूमि पर वादी का वर्षों से कब्जा होने एवं उसका अधिकार होने के बावजूद भी वादी के नाम राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज नहीं की। वादी द्वारा कई बार मौखिक निवेदन किया गया किन्तु भूमि उसके नाम दर्ज नहीं की गयी। भू-प्रबन्ध के दौरान 1981-82 में भी भू-प्रबन्ध कर्मचारियों के समक्ष कई बार निवेदन किया गया, लेकिन वादी को यही जवाब मिलता रहा कि भूमि उसके खाते कर दी जावेगी, लेकिन उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं की गयी एवं नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज कर दी गयी, जो वादी के अधिकारों के विपरीत है। उक्त भूमि वादी को तत्कालीन जागीरदार ठिकाना सवीना द्वारा जरिये पट्टा नजराना अदा करने पर दी गयी एवं कब्जा दिया गया, तब से वादी उक्त भूमियों पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है। अतएवं निवेदन किया कि विवादित आराजियात का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। विकल्प में एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार घोषित किये जाने की प्रार्थना की।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व जागीरदार द्वारा पट्टा देने का कथन गलत है तथा ऐसे पट्टे का कोई महत्व ही नहीं है जब तक भूमि सुधार एवं रिजम्पशन जागीर एक्ट के तहत अन्दर अवधि में खुदकाशत व पट्टे का इन्द्राज कमिश्नर के यहां न करा लेवे। इस एक्ट के अनुसार अन्य भूमि बिलानाम होकर राज्य सरकार में निहित हो चुकी थी तत्पश्चात् न्यास के खाते हो चुकी है। राजस्व कर्मचारियों ने किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की है। विशेष कथन में कहा कि राज्य सरकार को धारा 80 एवं नगर विकास प्रन्यास को धारा 98 के तहत नोटिस नहीं दिये जाने से वाद चलने योग्य नहीं है। नगर विकास प्रन्यास ने ट्रान्सपोर्ट नगर की योजना इस क्षेत्र में बना रखी है तथा अन्य भूमि भी अवाप्त कर ली है इससे वादी ने नगर विकास प्रन्यास में भी मुआवजे की दरखास्त लगाई है तथा नुमाईशी वाद भी प्रस्तुत किया है। अतएवं वाद चलने योग्य नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 5 तनकियात कायम की गयी :-

1. क्या वाद पत्र में वर्णित आराजी नंबर की भूमि गांव सवीना खेड़ा की वादी के खातेदारी आधिपत्य की है ?..... वादी
2. क्या भूमि वर्तमान पैमाईश के पूर्व भी बिलानाम अंकित थी ?.....प्रतिवादी
3. क्या आबादी विस्तार हेतु यह भूमि जिला कलक्टर उदयपुर ने प्रतिवादी को सन् 1986 में ही हस्तान्तरित कर दी है और भूमि प्रतिवादी के नाम अंकित है ?.....प्रतिवादी
4. क्या भूमि आबादी अंकित है, जिससे राजस्व न्यायालय का विचाराधिकार नहीं है ?.....प्रतिवादी
5. वादी क्या सहायता पाने का अधिकारी है ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत के आधार पर दिनांक 14-09-2015 को निर्णय पारित करते हुए वादी का खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादी/अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20-10-2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 नगर विकास प्रन्यास की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए उसे अपास्त करने एवं अपील स्वीकार कर वाद डिक्री करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोंडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट्स ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने मामले को समझा ही नहीं है, न ही न्यायिक प्रावधानों पर कोई ध्यान दिया है, न ही अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को अपने निर्णय में अंकित किया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 से 8 तक के गवाह प्रस्तुत

किये तथा दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 37 तक प्रस्तुत किये, जिनसे अपीलान्ट/वादी के पक्ष में उक्त भूमि का पट्टा संवत् 2000 जारी होना तथा पट्टे की राशि जमा करना स्पष्ट है एवं उक्त पट्टे को एडिशनल तहसीलदार द्वारा भी सही माना गया है एवं उनके आधार पर वादी के पक्ष में भूमि नियमन किये जाने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा प्रस्तुत दस्तावेजों से पक्षकारान एवं नगर विकास प्रन्यास के मध्य समझौता होना भी साबित है, जिसमें स्वयं नगर विकास प्रन्यास ने उक्त पट्टे को सही होना माना है। अपीलान्ट द्वारा खसरा गिरदावरियां भी प्रस्तुत की गयी हैं, जिससे विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होना तथा उसकी फसल होना स्पष्ट है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों पर कोई गौर नहीं किया। मिसल संख्या 3603/1969 निर्णय दिनांक 13-05-1969 में एडिशनल तहसीलदार गिर्वा ने अपीलान्ट्स के पूर्वाधिकारी भंवरलाल का पट्टा सही मानते हुए उक्त भूमि भंवरलाल के नाम नियमन किये जाने के सिफारिश के आदेश प्रदान किये तथा अपीलान्ट्स को भूमि से बेदखल नहीं किये जाने का आदेश पारित किया, जिससे अपीलान्ट्स का कब्जा पट्टा एवं राजस्व रेकार्ड से लगातार सिद्ध है तथा अपीलान्ट्स के कब्जे की पुष्टि खसरा गिरदावरी से भी होती है, जिसमें अपीलान्ट्स द्वारा फसले बोना अंकित है। अपीलान्ट्स द्वारा दौराने सेटलमेन्ट वर्ष 1981-82 में भू-प्रबन्ध के कर्मचारियों से भूमि अपीलान्ट्स के नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया तो अपीलान्ट्स से कहा गया कि उक्त भूमि उनके खाते कर दी जावेगी, किन्तु अपीलान्ट्स के नाम दर्ज नहीं की गयी। तत्पश्चात् भी अपीलान्ट्स के पूर्वाधिकारी भंवरलाल द्वारा कई बार तहसीलदार गिर्वा एवं पटवारी हल्का से भूमि अपीलान्ट्स के नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया, किन्तु भूमि अपीलान्ट्स के नाम दर्ज करने के बजाय नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज कर दी गयी। अपीलान्ट्स का संवत् 2000 से निरन्तर कब्जा होने से एडवर्स पजेशन से भी खातेदार घोषणा की मांग की गयी तथा इस बाबत् मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये, जिन पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है तथा प्रकरण में तनकियात कायम किये जाने के बावजूद तनकीवार निर्णय नहीं कर सरसरी निर्णय पारित कर दिया है। तनकी नंबर 1 को सिद्ध करने का भार वादी/अपीलान्ट पर था, जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट्स द्वारा संवत् 2000 का पट्टा प्रदर्श 1, नजराने की राशि 51/- रुपये ठिकाने के रोकड़

में जमा किये प्रदर्श 2 तथा कुल 37 दस्तावेजात पेश किये एवं मौखिक साक्ष्यों में पी.डब्ल्यू 1 से पी.डब्ल्यू 8 तक प्रस्तुत किये, जिससे संवत् 2000 में पट्टा अपीलान्ट्स के पूर्वाधिकारी वादी भंवरलाल के पक्ष में जारी होना एवं नजराने की राशि ठिकाने की रोकड़ बही में जमा कराया जाना तथा अपीलान्ट का संवत् 2000 से कब्जा होना साबित है इसके अलावा खसरा गिरदावरियों से भी अपीलान्ट के कब्जे की पुष्टि होती है। पी.डब्ल्यू 6 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होकर जयपुर में सहायक निदेशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार, सचिवालय जयपुर में पदस्थापित हैं, जिन्होंने साक्ष्य में बताया कि ठिकाना सवीना खेड़ा का पट्टा रजिस्टर में पेज नंबर 72 पर ए. से बी. स्थान पर इस हेतु इन्द्राज है एवं उक्त इन्द्राज को अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श 37 के रूप में रखा गया है। इसी प्रकार अन्य गवाहों द्वारा भी पट्टे की ताईद की गयी तथा रेस्पोंडेन्ट की ओर से ऐसी कोई जिरह नहीं की गयी, जिससे की पट्टे की अविश्वसनीयता की जा सके, न ही इस हेतु रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई गवाह पेश किया गया। उपरोक्त तथ्यों का वर्णन करते हुए अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में विस्तृत लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज कर दिया गया है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी अंकित किया गया है कि वादी के कथनानुसार यदि मान भी ले कि उसके पक्ष में भूमि नियमन का निर्णय हुआ है तो फिर उसके द्वारा नियमन क्यों नहीं करवाया गया एवं भूमि अब तब अपने नाम क्यों नहीं करवायी इस बाबत् कोई भी संतोषप्रद जवाब वादी की ओर से पेश नहीं हुआ है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन तथ्यों से पूर्णतया भिन्न हैं, क्योंकि अपीलान्ट्स के पूर्वाधिकारी वादी भंवरलाल द्वारा अपने पक्ष में नियमन किये जाने हेतु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्पर्क कर कई बार सिफारिश की गयी, किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया। खसरा नंबर 1238 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 15-05-1992 को अपीलान्ट के पक्ष में निर्णय पारित किया है। नगर विकास प्रन्यास की सामान्य बैठक दिनांक 22-08-2008 में सभी 31 सदस्यों ने उक्त आपसी समझौते को स्वीकार किया है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-05-1992 के निर्णय की पालना में इसी पट्टे के आबादी खसरा नंबर 1238 आबादी क्षेत्र की 60

प्रतिशत भूमि आवंटित की है। इसलिए अपीलान्त/वादी नगर विकास प्रन्यास की स्वयं की स्वीकारोक्ति अनुसार साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत आबादी भूमि की तरह ही कृषि भूमि का भी 15 प्रतिशत आरक्षित भूमि मुआवजे के रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 का कोई निर्णय पारित नहीं कर वादी का वाद सरसरी तौर पर बिना साक्ष्यों की विवेचना किये खारिज कर दिया है। तनकी नंबर 2, 3, 4 जिन्हें साबित कराने का भार प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट पर था, उनके द्वारा इस बाबत मौखिक साक्ष्य में सिर्फ डी.डब्ल्यू. 1 पटवारी नरेश कुदाल के बयान करवाये हैं एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 जिला कलक्टर द्वारा भूमि नगर विकास प्रन्यास को नियमन किये जाने का आदेश तथा प्रदर्श 2 नगर विकास प्रन्यास के नाम भूमि अंकित होने की जमाबन्दी, इसके अलावा रेस्पोंडेन्ट द्वारा कोई भी दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जबकि इसके विपरीत वादी/अपीलान्त द्वारा मौखिक साक्ष्य में कुल 8 गवाह पी. डब्ल्यू. 1 से पी.डब्ल्यू. 8 तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 37 तक प्रस्तुत किये हैं, जो राजकीय दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां होने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 (e), 74, 77 एवं 79 अनुसार स्वीकार योग्य हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजों का कोई विवेचन नहीं किया है। इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 तथा अपीलान्त के बीच राजीनामा हुआ था, जिसे अपीलान्त ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उक्त दस्तावेजों से अपीलान्त का कब्जा होना अपने आप में ही सिद्ध है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों को देखा तक नहीं तथा तनकियात कायम होने के बावजूद तनकीवार विवेचन नहीं कर सरसरी निर्णय पारित करते हुए वादी/अपीलान्त का वाद खारिज कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे एवं वादग्रस्त भूमियों का अपीलान्ट्स को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में भूमि अपीलान्ट्स के नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्त द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 5 तनकियात गठित की हैं तथा प्रत्येक तनकी का अपना

महत्व होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन नहीं कर निबन्धात्मक एवं अन्यन्त सरसरी निर्णय पारित किया है, जो स्पष्टया आदेश 20 नियम 5 जा.दी. का उल्लंघन है, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण जिनमें प्रत्येक तनकी महत्वपूर्ण हो तथा तनकियों पर साक्ष्य पृथक-पृथक पेश शुदा हो, ऐसे प्रकरणों में तनकीवार निर्णय किया जाना वांछनीय होता है, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

दूसरा हम यह भी पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा उपरोक्त अपील मीमों में वर्णित अनुसार प्रकरण में अनेकानेक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके अनुसार एडिशनल तहसीलदार का निर्णय जो वर्ष 1969 का है, में वादी/अपीलान्ट के पट्टे को सही मानते हुए प्रकरण नियमन योग्य माना है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में पट्टे की मान्यता के लिए उच्चतम न्यायालय तक आबादी प्रकरण में उक्त पट्टे की मान्यता रही है। साथ ही यह भी प्रकट आया है कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा विभागीय कार्यवाही विवरण में उक्त पट्टे को उचित होने बाबत् विवेचन किया गया है। उक्त पट्टे को लेकर नगर विकास प्रन्यास एवं पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति होकर वादी/अपीलान्ट को उक्त पट्टे के आधार पर आबादी भूमि के बदले भूखण्ड दिये गये हैं। इन समस्त परिस्थितियों में उक्त पट्टे को नजर अंदाज किये जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार नहीं है। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जबकि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन किया जाना वांछनीय था। किसी भी प्रकरण में जहां विवाद का अंतिम निस्तारण किया जाना हो वहां उपलब्ध साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन किया जाना आज्ञापक प्रावधान है, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन नहीं किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14-09-2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण

अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान द्वारा पेश शुदा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24-04-2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26-02-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासएल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

मूर्ति मंदिर श्री कमलनाथ महादेवजी बनाम भारत संघ जरिये श्री महाप्रबंधक
(तीन देवरी), उदयपुर सिटी रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर व
स्टेशन, उदयपुर व अन्य अन्य

अपील नं.....73/2017.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....24.....माह.....05.....2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....25.....माह.....01.....सन् 2018 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी..श्री प्रकाश खत्री/उत्तमप्रकाश आमेटा.मिनजानिब अपीलान्त व..श्री अरुण जैन

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्त
सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री
दिनांक 24-05-2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....25.....माह.....01.....2018
को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।